

सं०-०८ / डी०(टी०एस०पी०)-२४-१६ / २०१७-

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

८ सितम्बर, २०१७

विषय:- अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत कर्णांकित राशि से संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति का गठन।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) मद के तहत राज्य के वार्षिक योजना के उद्ब्यय से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में कल्याणकारी योजनाओं के विरुद्ध राशि का कर्णांकन किया जाता है। अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) के लिए लघु शीर्ष-७८९ एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के लिए लघु शीर्ष-७९६ के अन्तर्गत राशि कर्णांकित किया जाता है।

२- विभागीय संकल्प संख्या-१९२ दिनांक-०८.०१.२००७ द्वारा प्रधान सचिव/सचिव कल्याण विभाग अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अन्तर्गत ली जानेवाली योजनाओं का सूत्रण तथा प्रावधान के लिए नोडल पदाधिकारी घोषित है।

३- वर्णित स्थिति में योजना आयोग, भारत सरकार के पत्रांक-११०१२/०३/२०१३ SJ & SW दिनांक-१८.०६.२०१४ के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के तहत कर्णांकित राशि से संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाना है।

सम्यक् विचारोपरान्त राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति का गठन तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्रमांक	पद नाम	अभियुक्ति
१	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
२	विकास आयुक्त, बिहार	उपाध्यक्ष
३	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
४	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	सदस्य
५	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
६	प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
७	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	सदस्य
८	प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य

क्रमांक	पद नाम	अभियुक्ति
9	प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
10	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
11	प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
12	प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
13	प्रधान सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग	सदस्य
14	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग	सदस्य
15	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
16	प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
17	प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	सदस्य
18	प्रधान सचिव/सचिव, उर्जा विभाग	सदस्य
19	प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
20	प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग	सदस्य
21	प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	सदस्य
22	प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
23	प्रधान सचिव/सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग	सदस्य
24	प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य
25	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग	सदस्य
26	प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोगता संरक्षण विभाग	सदस्य
27	प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	सदस्य
28	प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य सचिव

4- राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति योजना आयोग, भारत सरकार के पत्रांक-11012/03/2013 SJ & SW दिनांक-18.06.2014 एवं समय-समय पर निर्गत निदेश के आलोक में कार्य करेगी।

5- राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी।

6- उक्त प्रस्ताव में मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(प्रेम सिंह मीणा)  
सरकार के सचिव।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति समिति के सभी सदस्यों, महालेखाकार एवं विभाग को भेजी जाय।

*Aley*  
8.9.17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- सं०-०८/डी०(टी०एस०पी०)-२४-१६/२०१७-२३५३ पटना, दिनांक- ११.०९.१७  
प्रतिलिपि- हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे बिहार राज्य के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की २०० प्रतियाँ मुद्रित कराकर इस विभाग को भेजी जाय।

*Aley*  
8.9.17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- सं०-०८/डी०(टी०एस०पी०)-२४-१६/२०१७-२३५३ पटना, दिनांक ११.०९.१७  
प्रतिलिपि- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Aley*  
8.9.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-०८/डी०(टी०एस०पी०)-२४-१६/२०१७-२३५३ पटना, दिनांक-११.०९.१७  
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी संबंधित प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Aley*  
8.9.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- सं०-०८/डी०(टी०एस०पी०)-२४-१६/२०१७-२३५३ पटना, दिनांक ११.०९.१७  
प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Aley*  
8.9.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- सं०-०८/डी०(टी०एस०पी०)-२४-१६/२०१७-२३५३ पटना, दिनांक ११.०९.१७  
प्रतिलिपि- निदेशक, राष्ट्रीय अनु० जाति/जनजाति आयोग, कर्पूरी भवन, आशियाना-दीधा रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Aley*  
8.9.17

सरकार के सचिव।